सार-समाचार

बहरोड़ में भारी मात्रा में खाद्य सामग्री सीज व नष्ट

कोटपूतली। त्योहारी सीजन में आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोहन सिंह नरूका के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बहरोड़ में विभिन्न मावा निर्माण इकाइयों एवं मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी मात्रा में संदिग्ध एवं दूषित खाद्य सामग्री सीज करने के साथ नष्ट करवाई गई तथा विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग एवं जिला प्रशासन के निर्देशन में की गई कार्रवाई के दौरान मेसर्स सांवरिया मिल्क फूड्स, बहरोड़ का निरीक्षण किया गया। यहां से गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मिक्स्ड मिल्क, क्रीम एवं मिल्क केक के नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया मिलावट की आशंका पाए जाने पर लगभग 510 किलोग्राम गुलाब जामुन एवं रसगुल्ला तथा 200 किलोठााम क्रीम सीज की गई। वहीं, लगभग 10 किलोग्राम सिंथेटिक रंग से निर्मित रसगुल्ले एवं 80 किलोग्राम रिफाइंड तेल, ग्लूकोज, मिल्क पाउडर, सूजी एवं मैदा से निर्मित मिल्क केक को नष्ट करवाया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 550 लीटर दूषित दूध एवं 50 किलोग्राम दूषित क्रीम भी नष्ट करवाई गई। इसी क्रम में मेसर्स कृष्णा रसगुल्ला भंडार, बहरोड़ का निरीक्षण कर राजभोग का नमूना लिया गया। यहां लगभग 65 लीटर दूषित दूध एवं सिंथेटिक रंग से निर्मित 65 किलोठााम रसगुल्ले नष्ट करवाए गए। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों एवं स्वच्छता व्यवस्था में कमियां पाए जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए। साथ ही खाद्य पदार्थों के सुरक्षित निर्माण, भंडारण, गुणवत्ता एवं स्वच्छता संबंधी निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के दौरान लिए गए खाद्य नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अठिाम कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आमजन से अपील की है कि त्योहारी सीजन में मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय उनकी गुणवत्ता, शुद्धता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।

पंचायतीराज चुनाव नाम निर्देशन के अंतिम दिन 220 नामांकन प्राप्त

टोंक। जिले में पंचायतीराज आम चुनाव के चौथे चरण के तहत पंचायत समिति सदस्यों (निवाई, टोडारायसिंह एवं टोंक) के नाम निर्देशन की प्रक्रिया के अंतिम दिन 220 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। सांख्यिकी प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी रामजीलाल शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के लिए टोंक में 61, टोडारायसिंह में 69, एवं निवाई में 90 कुल 220 नाम निर्देशन प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि इस तरह सम्पूर्ण नामांकन प्रक्रिया के दौरान टोंक में 76, टोडारायसिंह में 72 एवं निवाई में 131 नामांकन दाखिल किए गए। इसके अलावा पंचायतीराज आम चुनाव के तृतीय चरण के तहत जिले की 5 पंचायत समितियों की 153 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए नाम वापसी के बाद 1159 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। सरपंच पद के लिए कुल 1784 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें से 1769 वैध नामांकन पाए गए। इसके बाद 610 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए। जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने बताया कि तृतीय चरण की 153 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए चुनावी मुकाबले की स्थिति स्पष्ट हो गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार, 5 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा।

सुभाष नगर योगा संस्थान में दीपावली मिलन समारोह आज

अलवर । सुभाष नगर योगा संस्थान के सफल संचालन के दो वर्ष पूर्ण होने और दीपावली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में गुरुवार, 5 नवंबर को दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम प्लॉट नंबर 142, मित्तल हॉस्पिटल के पास, अलवर में होगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे से होगी, जबकि मुख्य समारोह सुबह 7 बजे दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ होगा। समारोह में नगर निगम अलवर की महापौर सुमनलता अजय अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगी। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व सभापति नगर परिषद अलवर अजय अग्रवाल, पार्षद वार्ड नंबर 48 नेहा मनचंदा, पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम मनचंदा, एनईबी थानाधिकारी सुन्नीलाल मीणा, एएसआई अजय शर्मा तथा खंडेलवाल शिक्षा समिति के अध्यक्ष नारायण बजरगान शामिल होंगे। संस्थान के संचालक एवं संरक्षक समाजसेवी डॉ. एस.सी. मित्तल, सुभाष नगर विकास समिति के अध्यक्ष नेमीचंद गुप्ता एवं योगाचार्य नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि संस्थान पिछले दो वर्षों से नियमित योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को स्वस्थ, निरोगी एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। संस्थान का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों को योग से जोड़कर समाज में स्वास्थ्य और जागरूकता का संदेश पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि दीपावली मिलन समारोह के माध्यम से योग प्रेमियों एवं क्षेत्रवासियों के बीच आपसी सद्भाव, स्नेह, सहयोग और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। आयोजकों ने समस्त योग प्रेमियों, गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों से समारोह में शामिल होकर संस्थान के दो वर्षों के सफल सफर का हिस्सा बनने की अपील की है।

4 पंचायत समितियों में 561 अभ्यर्थियों के 710 नामांकन पत्र प्राप्त

सवाई माधोपुर । पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत चतुर्थ चरण में सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर सिटी एवं वजीरपुर पंचायत समिति सदस्यों के 78 सदस्या पदों पर निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया शनिवार से प्रारम्भ हुई थी। बीते चार दिनों में कुल 561 अभ्यर्थियों ने 710 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) काना राम ने बताया कि चतुर्थ चरण के लिए चारों पंचायत समितियों के सदस्य पदों के लिए चौथे दिन 561 अभ्यर्थियों ने कुल 710 नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति में 127 अभ्यर्थियों ने 135 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। गंगापुर सिटी पंचायत समिति में 132 अभ्यर्थियों ने 181 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसी प्रकार, सवाई माधोपुर में 170 अभ्यर्थियों ने 203 नामांकन पत्र और वजीरपुर पंचायत समिति में 132 अभ्यर्थियों ने 191 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गुरूवार 5 नवम्बर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। शुक्रवार 6 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थी अपने नाम वापिस ले सकेंगे। नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के बाद शुक्रवार को ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे ।

निबंध प्रतियोगिता में प्रीति कंवर रही प्रथम

चौमूं / कालाडेरा । सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय, कालाडेरा में मंगलवार को जनजातीय पखवाड़ा समिति, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समिति एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में 'जनजातीय गौरव एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण' विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर जयभारत सिंह के मार्गदर्शन में तथा प्रो. रूबी शर्मा एवं प्रो. मानप्रकाश मीणा के नेतृत्व में किया गया।

विधिक माप विज्ञान विभाग ने दो फर्मों पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया



भरतपुर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं सही वजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया।

■ मिठाई की बिक्री में प्रयुक्त खाली डिब्बों के वजन जांचा गया

भरतपुर (निसं)। उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार भरतपुर विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं सही वजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी रामकुंवर नेतृत्व में निरीक्षण के दौरान मिठाई की दुकानों पर उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक कांटों के सत्यापन एवं मुद्रांकन, मिठाई की बिक्री में प्रयुक्त खाली डिब्बों के वजन तथा मिठाई के साथ डिब्बे का वजन जोडकर ग्राहकों से राशि वसूलने संबंधी अनियमितताओं की जांच की गई। जांच के दौरान दो फर्मों में अनियमितताएं पाए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

उन्होंने मिठाई विक्रेताओं को विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं संबंधित नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राहकों को सही वजन में मिठाई उपलब्ध कराने तथा इलेक्ट्रॉनिक कांटों का समय पर सत्यापन एवं मुद्रांकन करवाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा आमजन एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की निरीक्षण एवं कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

मुनि सौम्य सागर को सुशीला पाटनी ने आहार कराया

अलवर। शहर के जैन भवन में विराजित जैन मुनि सौम्य सागर महाराज को आरके मार्बल्स ग्रुप के चेयरमैन अशोक पाटनी की धर्मपत्नी सुशीला पाटनी ने भक्तिभाव के साथ चौका लगाकर मुनिश्री को आहार करवाया।

जैन धर्म में मुनि को आहार देना अत्यंत पुण्यशाली और आध्यात्मिक महत्व का कार्य माना जाता है। जैन साधु अपनी साधना, संयम और तपस्या के नियमों का पालन करते हुए गृहस्थों के यहां से विधिपूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। आहार दान की यह परंपरा त्याग, तप, सेवा और आत्मकल्याण की भावना से जुडी हुई है। सुशीला पाटनी ने अपने सहयोगियों के साथ पारंपरिक जैन विधि-विधान और पूरी श्रद्धा के साथ चौका लगाया। इस अवसर पर वातावरण भक्तिमय बना रहा। मुनिश्री को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त होने पर पाटनी परिवार ने स्वयं को धन्य महसूस किया। जैन समाज में आहार दान को केवल भोजन कराने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि साधु-संतों की तपस्या और संयम साधना में सहयोग करने का माध्यम माना जाता है।

मुनि सौम्य सागर महाराज के अलवर प्रवास के दौरान उनके दर्शन, प्रवचन और सान्निध्य का लाभ लेने के लिए श्रद्धालु जैन भवन पहुंच रहे हैं।

देवली में मुख्य मार्गों पर बिक रहे है अवैध पटाखे

■ बिना सर्वे के ही पटाखा लाइसेंस जारी करने की चर्चा

देवली (निस) देवली शहर में मुख्य सड़कों और भीड़भाड़ वाले रिहायशी इलाकों में बारूद के पटाखों की अवैधानिक तौर पर खुलेआम बिक्री की जा रही है । इतना ही नहीं शहर में स्थित पुलिस थाने के बाहर मुख्य सड़क पर पुलिस थाना प्रभारी के सामने बारूद फटाखा बिक्री की धारा की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है।

वह ऐसे की यहां बारूद से भरे फटाखा बेचने वाले व्यापारियों ने पुलिस थाने के बाहर तो कही खाली भूखंड,तो वही मंदिर के बाहर,, बैंकों के बाहर,शहर में बंद पड़ी दुकानों के बाहर,खुले सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक पदार्थ (जैसे पटाख़ों) की बिक्री बिना रोकटोक कर रहे हैं। देखने वाली बात तो यह है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बीच पटाखा कारोबारी इस तरह से लापरवाही पूर्ण आचरण कर लोगों की जान को खतरा पैदा किए हुए दिखाई दे रहा हैं। ऐसे हालातो पर लोगों का मानना है कि फटाखा कारोबारियों के साथ प्रशासन की कथित मिलीभगत बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि मुख्य बाजार मार्ग पर या खुले स्थान या सार्वजनिक स्थलों पर पटाखे बेचना अपराध माना गया है। तो वही ऐसे मामलों पर 6 महीने तक की जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान कानून की धाराओं में तय किया गया है।

यहां ऐसा कुछ नहीं यहां तो फटाखा व्यापारियों को रोड पर पटाखे बेचने की खुली छूट दे रखी है। लोगों ने ऐसे हालातो पर जानकारी में बताया कि धारा 223 बी एन एस और की धारा 188 की पालना के लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा त्योहारों के मध्य नजर धारा 144 या विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाते हैं।ऐसे मे इन धाराओं और जिला प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है।

यहां अधिकांश सभी फटाखा कारोबारी ने प्राप्त लाइसेंस के नियमों और शर्तों को ताक में रख दिया है । चर्चा है की पुलिस ने सर्वे किए बिना ही पुलिस के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पटाखा कारोबारी को लाइसेंस जारी कर दिए। यह देखने वाली बात तो यह भी है कि ऐसे हालातो के पर चार दिनों से लगातार उपखंड अधिकारी उपखंड से संपर्क किए जाने के प्रयास किए जा रहे है

नशामुक्त जीवन अपनाने का आव्हान

चौमूं / कालाडेरा । सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय, कालाडेरा में नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र , राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रोवर-रेंजर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नशे से ठास्त युवा पीढ़ी : अवसाद, चिंता और तनाव विषय पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. जयभारत सिंह ने की, जबकि राजकीय उप जिला अस्पताल, चौमूं के मनोचिकित्सक डॉ. कपिल दीक्षित मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की भूमिका एवं विषयगत पृष्ठभूमि केन्द्र के नोडल अधिकारी प्रो. मानप्रकाश मीणा ने प्रस्तुत की। मुख्य वक्ता डॉ. दीक्षित ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी तेजी से विभिन्न प्रकार के नशों की गिरफ्त में आती जा रही है।

भाजपा अपने विकास के एजेंडे पर कायम : चैयरमेन पवन मोदी

■ चेयरमैन मोदी ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सीमित आतिशबाजी करने का आग्रह किया है

सांभरझील, (निसं)। भाजपा जो कहती उसे पूरा भी करके दिखाती है। हमने अल्प समय में ही यहां के मुख्य मांगों के अलावा अंदरुनी रास्तों को सुधार कर पहली जटिलता को खत्म कर राहत देने का काम किया है। यह कहना है चैयरमेन पवन कुमार मोदी का जो लगातार दिन रात मेहनत कर सफाई व्यवस्था को भी देख रहे हैं।

हमारी प्रदेश की सरकार ने विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है। उसी अनुरूप सबका साथ, सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। विकास के दम पर अब हम सांभर नगरपालिका में भी आने वाले वक्त में एक ऐसा इतिहास रच देंगे जिसे सांभर की जनता हमेशा याद करती रहेगी। बुधवार को पुरानी धानमंडी में दिपावली पूर्व की जाने वाली सजावट व रोशनी से सरोबार किए जाने की तैयारी व अन्य बाजारों में भी इसके लिए मौका निरीक्षण भी किया गया। पालिका के समस्त स्टाफ को यह भी निर्देश दिए गए कि दीपावली पर्व को मद्देनजर रखते हुए जिसके जिम्मे जो काम है, उसे इमानदारी के साथ समय पर ही भुगता दें।

सफाई निरीक्षक विनोद कुमार पारीक व उनकी टीम इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सफाई व्यवस्था में कोई कोताही न हो।

न्यायाधीश ने निशुल्क शिक्षा हासिल करने की जानकारी दी



न्यायाधीश मोहित आनन्द ने शिक्षा के अधिकार पर विस्तार से जानकारी दी।

■ प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैं तथा परिस्थितियों के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए।

सांभरझील, (निसं)। ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश मोहित आनन्द ने न्यायालय परिसर में बुधवार को शिक्षा का अधिकार, अधिनियम के अन्तर्गत नि: शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैं तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बाल श्रम में संलिप्त लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के प्रावधानों के बारे में भी बताया। इस मौके पर पैरा लीगल वालेंटियर अनु गुप्ता ने कहा कि इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हैल्प लाईन नं. 15100, साईबर हैल्प लाईन नंबर 1930, गरीमा हेल्प लाइन नंबर 1090 जारी किए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने संबंधित विस्तृत विधिक जानकारी भी दी। इस मौके पर एडवोकेट राहुल कुमार, नितेश जांगिड़, रवि वर्मा, दीपिका सैनी भी मौजूद रहे।

सुगम यातायात के लिए व्यापारियों के साथ बैठक

भरतपुर (निसं)। दीपावली सहित आगामी पांच दिवसीय पर्व के दौरान भरतपुर बाजारों की सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज के कार्यालय सभागार में शहर के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई।

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री पंकज कुमार गुप्ता, पुत्र श्री जगदीश चन्द गुप्ता ने फ्लैट संख्या GA-908, 9th Floor, 3 BHK, Block Garnet-A, "अर्बाना ज्वैल्स", ग्राम मदरामपुरा, सांगानेर, जयपुर, एरिया 1995.01 वर्गफीट को श्री अभिषेक गजेन्द्र शर्मा, पुत्र श्री गजेंद्र कुमार शर्मा से खरीदने हेतु ऋण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आवेदन किया है। उक्त फ्लैट को श्री गजेंद्र कुमार शर्मा के निर्वसीयत स्वर्गवास हो जाने पर उनके वारिसानों श्रीमती मंजू शर्मा, स्वाती शर्मा व श्वेता शर्मा ने दिनांक 28.10.2025 को पंजीकृत हकत्याग-पत्र के द्वारा श्री अभिषेक गजेन्द्र शर्मा के हित में कर दिया। उक्त हकत्याग-पत्र, सम्पत्ति व लिए जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति, ऐतराज है, तो मय दस्तावेजी साक्ष्य अन्दर मियाद 15 दिवस में मुझसे सम्पर्क करें, अन्यथा बाद मियाद आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

हेमन्त कुमार शर्मा एडवोकेट (R/1355/1999)
ए-36, चित्रकूट स्टेडियम, जयपुर, 9413332288

कार्यालय उपायुक्त हवामहल-आमेर जोन नगर निगम जयपुर।
(बड़ी चौपड़ पुराना पुलिस मुख्यालय, जलेबी चौक, जयपुर)
Email ID: dchmw.jmc@gmail.com Ph. No. 0141-2329953
क्रमांकः-F51() Dept.Comm./H.M.A.Z./2026/1556
अनापत्ति आमंत्रण सूचना दिनांकः- 3/11/26

श्रीमती अन्जु सिंह पत्नी श्री हरेन्द्र पाल सिंह निवासी भूखण्ड संख्या/ सर्वे नम्बर 115, शीतला माता की डूँगरी, छोटा अखाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर द्वारा शहरी सेवा शिविर 2026 में आवेदन कर भूखण्ड संख्या/ सर्वे नम्बर 115, शीतला माता की डूँगरी, छोटा अखाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। भूखण्ड संख्या/ सर्वे नम्बर 115, शीतला माता की डूँगरी, छोटा अखाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर का पट्टा नगर निगम द्वारा श्री कुशलपाल सिंह पुत्र श्री छिद्दु सिंह को जारी किया गया था। श्री कुशलपाल सिंह पुत्र श्री छिद्दु सिंह की मृत्यु पश्चात उनके वारिसानों द्वारा उक्त भूखण्ड को पंजीकृत हकत्याग पत्र द्वारा श्रीमती अन्जु सिंह पत्नी श्री हरेन्द्र पाल सिंह के हक में किया गया। श्रीमती अन्जु सिंह पत्नी श्री हरेन्द्र पाल सिंह द्वारा उक्त हकत्याग पत्र के आधार पर भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण चाहा है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम हस्तान्तरण जारी होने के संबंध में आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 07 दिवस में आपत्ति पेश करे अन्यथा 07 दिवस पश्चात उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी। उपायुक्त हवामहल आमेर जोन नगर निगम जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक: 4612 जाहिर आम सूचना दिनांक 04.11.2026

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 266/117 (EWS), (एरिया 47.625 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती पुष्पा किशनानी पत्नी श्री हरिश किशनानी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 7450 दिनांक 18.11.2003 को जारी किया गया। श्रीमती पुष्पा किशनानी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 19.09.2012 को उप पंजीयक-अष्टम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती पुष्पा किशनानी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 19.09.2012 के द्वारा 1. श्री शिव सिंह चौधरी पुत्र श्री प्यारे लाल एवं 2. श्री जवाहर सिंह पुत्र श्री मूली सिंह को विक्रय कर उप पंजीयक- अष्टम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। 1. श्री शिव सिंह चौधरी एवं 2. श्री जवाहर सिंह द्वारा उक्त आवास को दिनांक 31.08.2026 के द्वारा श्री अशोक कुमार डूलानी पुत्र श्री ईश्वर दास को विक्रय कर उपपंजीयक -अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/केती श्री अशोक कुमार डूलानी पुत्र श्री ईश्वर दास द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री अशोक कुमार डूलानी पुत्र श्री ईश्वर दास का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। संपदा प्रबंधक, वृत प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-4598 दिनांक-04/11/226

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में फ्लैट संख्या A/15/3(GF)(MIG-A), (एरिया 45.826 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री रविन्द्र गुप्ता को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 10741 दिनांक 14.02.2012 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 6775 दिनांक 23.11.2012 को जारी किया गया। श्रीमती रेखा गुप्ता के पक्ष में उक्त फ्लैट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 30.11.2015 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती रेखा गुप्ता द्वारा उक्त फ्लैट को दिनांक 18.01.2016 के द्वारा श्री अनीश मोहम्मद पुत्र श्री वलेरीन को विक्रय कर उप पंजीयक-जयपुर-प्रथम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री अनीश मोहम्मद द्वारा उक्त फ्लैट को दिनांक 27.07.2023 के द्वारा श्री रोहताश कपूर पुत्र श्री देशराज कपूर को विक्रय कर सब रजिस्ट्रार जयपुर-पंचम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्री रोहताश कपूर पुत्र श्री देशराज कपूर द्वारा आवासन मण्डल में उक्त फ्लैट के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री रोहताश कपूर पुत्र श्री देशराज कपूर का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई-निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक इन्जीनिरिंग उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवम् उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है। **क्र.सं.: 1; निविदा संख्या/कार्य का नामः** ई-जेपी-2026-27-104R; सहायक मण्डल इंजी-सीकर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न आरयूबी पर कवर शेड, सम्प की व्यवस्था, रिटेनिंग वॉल का विस्तार और उसे ऊँचा करना, जोड़ों की सीलिंग, सड़क की सतह का काम आदि, तथा अन्य सुधार कार्यों का प्रावधान। **अनुमानित लागतः** 190819182.13; **बिड प्रतिभूति राशिः** 3816400.00; **क्र.सं.: 2; निविदा संख्या/कार्य का नामः** ई-जेपी-2026-27-105R; सहायक मण्डल इंजी रींगस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न आरयूबी पर कवर शेड, सम्प की व्यवस्था, रिटेनिंग वॉल का विस्तार और उसे ऊँचा करना, जोड़ों की सीलिंग, सड़क की सतह का काम आदि, तथा अन्य सुधार कार्यों का प्रावधान। **अनुमानित लागतः** 394925659.25; **बिड प्रतिभूति राशिः** 7898500.00; **क्र.सं.: 3; निविदा संख्या/कार्य का नामः** ई-जेपी-2026-27-129 जयपुर मंडलः- पीएससी स्लीपरों पर, विशेष रूप से पॉइंट एवं क्रॉसिंग क्षेत्र में बिछाने हेतु खाँचेदार रबर सोल प्लेटों पर चिपकाने वाले पदार्थ (Adhesive) की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य। **अनुमानित लागतः** 24375142.00; **बिड प्रतिभूति राशिः** 487500.00; 1. उपरोक्त निविदाओं का पूर्ण विवरण वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। नोटिस बोर्ड मण्डल रेल प्रबन्धक (निर्माण लेखा) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है। **2. निविदा संख्या इंजी./जय/2026-27-104R व 105R** की बन्द होने की तिथि 19.11.2026 समय 15.00 बजे एवं खुलने की तिथि 19.11.2026 समय 16.00 बजे। निविदा संख्या **इंजी./जय/2026-27-129** की बन्द होने की तिथि 20.11.2026 समय 15.00 बजे एवं खुलने की तिथि 20.11.2026 समय 16.00 बजे।
1587-AM/26
हमें /NWRailways पर फॉलो करें

विवाधको के स्थरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 नियम 13और 5)
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि., क्रम संख्या 17 चौमूँ, जयपुर महानगर द्वितीय
सुरेश कुमार गरेड बनाम रामरतन शर्मा वगै.
(वाद बाबत अवैध, शून्य व निष्प्रभावी घोषित किये जाने आवंटन पत्र दिनांकित 28-03-1986 व स्थायी निषेधाज्ञा)

वाद संख्या 123/2024
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 97/2026 बनाम अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 2 ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर रजि0 2757/ एल जरिये समापक जरिये उपरजिस्ट्रार सहकारी समिति कार्यालय कमरा नम्बर 608 मिनी सचिवालय जयपुर। वादी ने आपके विरुद्ध एक वाद बाबत अवैध, शून्य व निष्प्रभावी घोषित किये जाने आवंटन पत्र दिनांकित 28-03-1986 व स्थायी निषेधाज्ञा का किया गया है, आपको इस न्यायालय में दिनांक 19-11-2026 को दिन में 10 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या सुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 4 माह 11 सन 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्रम संख्या 17 चौमूँ, जयपुर महानगर द्वितीय

नाम परिवर्तन

मैने अपनी पुत्री का नाम जाह्नवी सिंह पुत्री देवेन्द्र सिंह मनोहर से बदल कर जाह्नवी सिंह पुत्री सम्पत सिंह नाथावत, पता वार्ड नं. 2, 100 बीघा वाली कोठी, मोरिजा, तहसील चौमू रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना पहचाना जाए। मो.9828201527

मैने अपना नाम कमलेश कुमारी से बदलकर कमलेश पत्नी श्री नरेंद्र सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। निवासीः- गाँव एंड पोस्ट- सोगर, तहसील- कुम्हेर, जिला- भरतपुर, राजस्थान-321001

मेरे पुत्र विरल सिंह राजावत के शैक्षिणक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा (माता का) नाम वीनू कंवर (Veena Kanwar) दर्ज हो गया। जबकि मेरा सही नाम बीना कँवर (Beena Kanwar) पत्नी अजय सिंह है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी- गोनेर रोड, भावगढ़ बंध्या, दांतली, जयपुर (राजस्थान)

I hitherto known as Shivdesh Gurjar alias Gurjar Tejveersingh Janak, S/o Saheeram Gurjar, R/o Dhamadi Ka Pura, Karauli, Rajasthan-322216, have changed my name and shall hereafter be known as Gurjar Tejveersingh Janak

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-सी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांकः 90A/JDA/2026-27/100626 दिनांकः 28-09-2026

लोक सूचना

श्री कैलाश चन्द वर्मा, संयुक्त महाप्रबंधक (राजस्व), जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड पुत्र श्री बालकिशन वर्मा, कार्यालयः द्वितीय तल, विंग-ए, प्रशासनिक भवन, मेट्रो डिपो, भृगु पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकार के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	1.) जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. जयपुर हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए	251/450	0.1012	0.1012
				कुल	0.1012

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।
उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28-09-2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-सी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
राज.संवाद/सी/26/12971

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-सी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांकः 90A/JDA/2026-27/101053 दिनांकः 28-09-2026

लोक सूचना

श्री कैलाश चन्द वर्मा, संयुक्त महाप्रबंधक (राजस्व), जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड पुत्र श्री बालकिशन वर्मा, कार्यालयः द्वितीय तल, विंग-ए, प्रशासनिक भवन, मेट्रो डिपो, भृगु पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकार के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बृजलालपुरा, जयपुर (जयपुर)	1.) जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. हिस्सा पूर्ण जयपुर संस्था	186/111	0.0386	0.0386
2.	बृजलालपुरा, जयपुर (जयपुर)	1.) जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. हिस्सा पूर्ण जयपुर संस्था	184/111	0.0961	0.0961
3.	बृजलालपुरा, जयपुर (जयपुर)	1.) जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. हिस्सा पूर्ण जयपुर संस्था	188/113	0.1234	0.1234
4.	बृजलालपुरा, जयपुर (जयपुर)	1.) जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन हिस्सा पूर्ण जयपुर खातेदार	190/111	0.05	0.05
				कुल	0.3081

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर **"विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।"** Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।
उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28-09-2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-सी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
राज.संवाद/सी/26/12971

Office of the Municipal Board, Deoli (Tonk) Rajasthan
Tel. (01434) 232013
E-mail: npdeoli@gmail.com

कार्यालय नगरपालिका देवली (टोंक) राज.

क्रमांक : न.पा.दे./आपत्ति आमन्त्रण सूचना/2026-27/2665 दिनांक : 04/11/26

आपत्ति आमंत्रण सूचना

एतद्वारा हितबद्ध, व्यक्ति विशेष, आम खास को सूचित किया जाता है कि पालिका क्षेत्र में अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा अपनी सम्पति के नामान्तरण, एकीकरण, उप विभाजन हेतु आवेदन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को निम्नांकित इजाजत बाबत् आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर म्याद विधिमान्य दस्तावेजों सहित लिखित में आपत्ति कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावें। बाद म्याद गुजरने आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.स.	नाम प्रार्थी	मौहल्ला	भूखण्ड संख्या/नाप	प्रयोजन
1.	श्री चेतन कुमार पुत्र श्री लाभचन्द मीणा	भूखण्ड संख्या 6, कुंचलवाडा कलां तह0 जहाजपुर	नाप 97.22 वर्गगज	नामान्तरण
2.	श्री प्रधान मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा श्री मस्तराम मीणा पुत्र श्री शिवराज मीणा	भूखण्ड संख्या 8, कुंचलवाडा कलां तह0 जहाजपुर	नाप 97.22 वर्गगज	नामान्तरण
3.	श्री प्रधान मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा	भूखण्ड संख्या 9, कुंचलवाडा कलां तह0 जहाजपुर	नाप 97.22 वर्गगज	नामान्तरण
4.	श्री मस्तराम मीणा पुत्र श्री शिवराज मीणा	भूखण्ड संख्या 7, कुंचलवाडा कलां तह0 जहाजपुर	नाप 97.22 वर्गगज	नामान्तरण
5.	श्री अमित टाक पुत्र श्री ओमप्रकाश टाक	भूखण्ड संख्या 2, देवली गांव तह0 देवली	नाप 271.11 वर्गगज	एकीकरण
6.	श्री पप्पू कुमार वर्मा पुत्र श्री गोकुल राम वर्मा	भूखण्ड संख्या 2. देवली गांव तह0 देवली	नाप 133.33 वर्गगज	उप विभाजन

(अमर चन्द गुर्जर)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका देवली